UPBN010044912026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बदायूँ।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1712/2026

यासीन बनाम राज्य
मु०अ०सं०–138/2026
धारा–109(1) बी०एन०एस०
थाना–इस्लामनगर, जिला–बदायूँ।

10–07–2026

1– यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **यासीन** की ओर से थाना–**इस्लामनगर,** जिला–बदायूँ में पंजीकृत **मु०अ०सं०–138/2026, धारा–109(1) बी०एन०एस०** के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से स्वयं का शपथ–पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि यह उसका प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र है, इस प्रार्थना–पत्र से पूर्व कोई भी अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र न्यायालय से खारिज नहीं हुआ है और न ही विचाराधीन है तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से भी कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र खारिज नहीं हुआ है और न ही विचाराधीन है।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा इकलाश द्वारा थाना–इस्लामनगर, जिला–बदायूँ पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि मैंने अपनी लड़की मिस्किन उर्फ गुलनाज का निकाह नदेरी में किया था। ससुराल वालों से लड़की का मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, जिसकी पैरवी मेरा लड़का मैसाद खाँ उम्र 32 वर्ष करता है। दिनाँक 26–05–2026 समय दोपहर नदेरी घर से मक्का में पानी लगाने मैसाद खाँ गया था। वापस घर मोटरसाइकिल से आ रहा था। समय 09.30 बजे शाम मुवारिक भट्टा के सामने मैसाद खाँ पहुँचा पीछे से नाजिर व यासीन नदेरी व तस्दीक हुसैन थाना–धनारी जनपद संभल मोटरसाइकिल से आये और जान से मारने की नीयत से मैसाद के दो गोली मारी, एक दाहिने कंधे पर, एक पुट्ठे पर लगी। शोर पर मैं तथा राहगीर मौके पर पहुँचे घटना देखी। उक्त तीनों तमंचा लहराते हुए मौके से फरार हो गए। पी०आर०वी० को सूचना दी लड़के को लेकर थाने आये हैं, रिपोर्ट लिखकर नाजिर, यासीन व तस्दीक हुसैन उपरोक्त के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। वादी की तहरीर के आधार पर उक्त मामला अभियुक्तगण नाजिर, **यासीन** व तस्दीक हुसैन के विरूद्ध थाना–इस्लामनगर, जिला–बदायूँ पर मु०अ०सं०–138/2026, धारा–109(1)) बी०एन०एस० के अंतर्गत पंजीकृत किया गया।

4– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त वाद में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त व प्रार्थी/अभियुक्त के बहनोई मुनाजिर के भाई नाजिर व प्रार्थी/अभियुक्त के बहनोई मुनाजिर के सगे बहनोई तस्दीक हुसैन को नामजद किया है। मुनाजिर की पहली पत्नी मिशकीन के पिता इकलाश हुसैन उपरोक्त वाद के वादी हैं तथा प्रार्थी/अभियुक्त, मुनाजिर की दूसरी पत्नी फूलजहाँ का सगा भाई है। उपरोक्त वाद में पुलिस द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार करने की पूर्ण आशंका है। उपरोक्त वाद की प्रथम सूचना

Digitally signed by VIVEK SANGAL
Date: 2026.07.10 16:06:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

रिपोर्ट प्रार्थी/अभियुक्त के सगे बहनोई मुनाजिर की पत्नी मिशकीन जहाँ के पिता इकलाश पुत्र इस्लाम खाँ ने प्रार्थी/अभियुक्त व प्रार्थी/अभियुक्त के बहनोई व अन्य रिश्तेदारों के विरूद्ध लिखायी है। प्रार्थी/अभियुक्त, मुनाजिर की दूरी पत्नी फूलजहाँ का सगा भाई है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। उसने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त के बहनोई मुनाजिर का पहला विवाह उपरोक्त वाद के वादी इकलाश की पुत्री मिशकीन के साथ हुआ था, मिशकीन जहॉ उर्फ गुलनाज पुत्री इकलाश ने मुनाजिर व उसके सगे भाई नाजिर खाँ, माता सलमा, बहन नजराना के विरूद्ध अ०सं० –126/2025, अंतर्गत धारा 85, 89, 115(2), 351(2) बी०एन०एस० व 3/4 डी०पी०एक्ट के अंतर्गत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना इस्लामनगर में लिखायी थी, जिसमें दौरान विवेचना 89 बी०एन०एस० का अपराध न पाये जाने के कारण 89 बी०एन०एस० का लोप कर दिया गया, जिस कारण मुनाजिर व अन्य सह–अभियुक्तगण जेल नहीं जा सके। इस बात से उपरोक्त वाद का वादी इकलाश खाँ व उसकी पुत्री अ०सं०–126/2025 की वादिनी और अधिक नाराज हो गए और अपनी जिल्लत महसूस करने लगे। प्रार्थी/अभियुक्त को वादी की पुत्री मिशकीन की सौत फूलजहाँ का सगा भाई होने के कारण झूठा नामजद किया गया है। उपरोक्त वाद के वादी द्वारा फर्जी चोटें बनवायी गयी हैं, जो वाइटल पार्ट पर नहीं हैं, स्वयं बनायी अथवा बनवाई हुई प्रतीत होती हैं। उपरोक्त वाद के वादी इकलाश की पुत्री मिशकीन उर्फ गुलनाज ने प्रार्थी/अभियुक्त के बहनोई मुनाजिर खाँ के विरूद्ध न्यायालय ग्राम न्यायालय बिल्सी जनपद बदायूँ में दिनाँक 05–06–2025 को धारा 144 बी०एन०एस०(125 सीआर०पी०सी०) का दावा भी दायर कर रखा है। प्रार्थी/अभियुक्त के बहनोई मुनाजिर ने भी मिशकीन के विरूद्ध दाम्पत्य अधिकार के पुनर्स्थापन का दावा प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय में दायर कर रखा है। घटना का कोई आजाद व चश्मदीद गवाह नहीं है, सारे गवाह वादी के असर के व मेली हैं। घटना का कोई स्वतंत्र व चश्मदीद गवाह नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त साविक सजायाफ्ता नहीं है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी को दौराने मुकदमा अग्रिम जमानत पर रिहा फरमाये जाने की कृपा की जावें।

5– अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया और कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की कृपा की जाये।

6– मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस प्रपत्र मय केस डायरी का अवलोकन किया।

7– केस डायरी के साथ उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी मुकदमा इकलाश द्वारा अपनी लड़की मिस्किन उर्फ गुलनाज का निकाह नदेरी में करने और उसकी ससुराल वालों से लड़की का मुकदमा कोर्ट में चलने, जिसकी पैरवी वादी के लड़के मैसाद खाँ द्वारा करने तथा दिनाँक 26–05–2026 समय दोपहर नदेरी घर से मक्का में पानी लगाने हेतु मैसाद खाँ को खेत पर जाने और मोटरसाइकिल से घर वापस लौटते समय करीब 09.30 बजे शाम मुवारिक भट्टा के सामने अभियुक्त यासीन व अन्य सह–अभियुक्तगण द्वारा मोटरसाइकिल से आकर जान से मारने की नीयत से मैसाद के दो गोली मारने, जिससे एक गोली उसके दाहिने कंधे पर व एक पुट्ठे पर लगने और शोर पर वादी तथा राहगीरों के पहुंचने और घटना देखने तथा अभियुक्त व सह–अभियुक्तगण द्वारा तमंचा लहराते हुए मौके से फरार हो जाने आदि तथ्य कहे गए हैं। **वादी मुकदमा इकलाश खां** द्वारा बयान 180 बीएनएसएस में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है।

8– पत्रावली पर **चुटैल मैशाद खां** की मेडिकल रिपोर्ट में उसके शरीर पर आग्नेयास्त्र के फायर से आयी 02 चोटें आना दर्शित हैं। केस डायरी के पर्चा संख्या–17 में राजकीय मेडीकल कालेज बदायूं के चिकित्सक डा० अमित कुमा गुप्ता द्वारा मजरूब मेशाद

खां के इलाज के दौरान उसके शरीर से दो बुलेट निकलने आदि के संबंध में विवेचक को बताये का उल्लेख किया गया है। केस डायरी के पर्चा संख्या 5 में **चुटैल मैसाद खां द्वारा बयान 180 बीएनएसएस** में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए अभियुक्त व सहअभियुक्तगण द्वारा मोटर साइकिल से आने और बहन के मुकदमें की बहुत पैरवी करने की बात कहने और तीनों अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर उसे जिन्दा न छोड़ने की कहने तथा अभियुक्त नाजिर द्वारा उस पर जान से मारने की नीयत से दो फायर करने और गोली लगते ही खेत के पास गिर जाने आदि कथन किये गये हैं। **प्रस्तुत प्रकरण में सह–अभियुक्त नाजिर का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निरस्त किया गया है।** प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त की सक्रिय भूमिका दर्शित की गयी है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त हैं। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः मेरे विचार से अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का होने के कारण अग्रिम जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **यासीन** की ओर से प्रस्तुत किया गया यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है ।

(विवेक संगल)
सत्र न्यायाधीश,
बदायूँ।

दिनांक–10–07–2026

J.O.Code–U.P.6516

भूपेश